539

द्वारा ई मेल/फैक्स

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्या:पॉच–111–आर(वरिष्ठता)2014 दिनाक:नवम्बर 17 ,2014

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय:– उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा–1999 के असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित योजित सिविल अपील संख्या–6549/2014 विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के साथ बंच 07 अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित निर्णय निर्णय दिनांक 15–7–2014 के सबंध में।

—

कृपया उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा–1999 के असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या–579/2007 व अन्य विशेष अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 14–3–2008 के विरूद्ध योजित सिविल अपील संख्या–6549/2014, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के साथ बंच 07 अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाएँ योजित की गयी।

2– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले में निर्णय दिनांक 15–7–2014 पारित किया गया था, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:–

"The earlier Rules 2008 having been done away with and there being huge number of vacancies against the promotional quota (2500 approximately), we are of the view that all these appeals may now to be disposed of by directing the State of U.P. to initiate and complete the process of promotion of all eligible candidates, including the appellants to the cadre of Sub-Inspector under the Rules of 2013 within a period three months from today.

We have noticed that under the Rules of 2013 only Head Constables are eligible for promotion to the post of Sub-Inspector whereas under the earlier Rules even constables were so eligible. In this regard, it is stated by Mr. Gaurav Bhatia, learned Additional Advocate General, Uttar Pradesh, that such of the appellants who may have been constables earlier, by this time, must have been promoted to the post of Head Constable in view of the huge number of vacancies in the cadre. Notwithstanding the above, we further direct that, in the event, any of the appellants, who are still holding the post of Constable and have not been promoted to the post of Head Constable, their cases for promotion to the post of Head Constable will be finalised before the directions of this Court with regard to promotion to the post of Sub-Inspector for the cadre of Head Constable is given effect to."

3– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–07–2014 के अनुपालन में याचीगण की वर्तमान स्थिति ज्ञात किये जाने हेतु दिनांक 11–09–2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर याचीगणों को अपने से संबंधित निर्धारित प्रारूप में सूचना शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं पुलिस मुख्यालय के पत्रांक पॉच–111–आर(रिट–165)2006, दिनांक 14–9–2014 द्वारा 971 कर्मियों की सूची डालते हुए उनके वर्तमान नियुक्ति व किस पद पर नियुक्त है, की सूचना जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मियों के बारे में सूचना प्राप्त की गयी। साथ ही पुलिस मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप समांक पत्र दिनांक 27–10–2014 द्वारा प्रश्नगत मामले में की गई कार्यवाही और अग्रेतर कार्यवाही किस प्रकार की जायेगी विस्तृत विवरण के साथ निर्गत किया गया है।

4– इसी कम में याचीगण द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 15–7–2014 को संशोधित कराये जाने हेतु आई0ए0 34/2014 एवं 25/20014 सिविल अपील संख्या–6549/20014, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 31–10–2014 द्वारा अपने पूर्व पारित निर्णय दिनांक 15–7–2014 को रिकॉल(Recall) करते हुए मेरिट के आधार पर सुनवाई कर निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया है।मा0 सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का अंश निम्नवत है:–

"Order dated 15th July, 2014 disposing of Civil Appeal No.6549 of 2014 and other connected appeals is recalled. All the cases will now be decided on merits.

List Civil Appeal No.6549 of 2014 and other connected appeals for hearing in the month of January,

All Intervention/impleadment applications be listed along with the main case.

I.A. Nos. 34/2014 and 35/2014 are disposed ofin the above." terms.

5— अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में अपने जनपद/इकाई/पीएसी में नियुक्त याचीगण सहित उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा—1999 के असफल अन्य कर्मियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं के याचीगणों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 न्यायालय में अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हों। साथ ही मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में विचाराधीन उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा—1999 से संबंधित रिट याचिकाओं में भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31—10—2014 के आलोक में कार्यवाही करने एवं याचीगण के प्रत्यावेदन भी यथावश्यक निस्तारण की कार्यवाही करने का कष्ट करें। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले में सुनवाई के उपरान्त मेरिट के आधार पर पारित निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

17/11/14
(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि पुलिस उमहानिरीक्षक तकनीकी सेवायें,चतुर्थ तल जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस पत्र को उ0प्र0 पुलिस बेवसाइड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी/सेनानायक से उक्त निर्देश का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें:—

1— समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स/पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी जोन्स उ0प्र0।
2— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।
3— समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, उ0प्र0।

संख्या तथा दिनांक वहीं।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— पुलिस उप महानिरीक्षक,ए0टी0एस0 लखनऊ।
2— समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/सेनानायक पीएसी वाहिनी उ0प्र0।
3— समस्त प्रशिक्षण संस्थान/आरटीसी उ0प्र0।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
2—उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण इलाहाबाद/लखनऊ/गाजियाबाद/नोयडा/बरेली।
3—निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
4—आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
5—पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
6—पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।
7—पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया वॉछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी उचित निर्देश देने की कृपा करें :—

1—अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक,उ0प्र0 लखनऊ।
2—पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।
3—सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
4—विशेष सचिव—गृह,उ0प्र0 शासन गृह(पुलिस)अनुभाग—1,लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त सूचना फैक्स/ई मेल/दूरभाष के माध्यम से भेजना/अवगत कराना सुनिश्चित करेंगेः—

1— प्रभारी फैक्स सेल/कन्ट्रोल रूम, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2— प्रभारी आई0टी0 सेल, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।